न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 86/2019

वादीगण	बनाम प्रतिवादी
1. नत्थू राम पुत्र सुमारमल उर्फ मेघराज सिन्धी निवासी 23 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी वार्ड न. 30 पुरानी आबादी श्रीगंगागनर 2. भगवान दास पुत्र सुमारमल उर्फ मेघराज सिन्धी निवासी 23 एफ तहसील श्रीकरणपुर हाल निवासी वार्ड न. 30 पुरानी आबादी श्रीगंगागनर	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

दिनांक रजू:- 22.10.19

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता वादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

--निर्णय-- दिनांक : 23/02/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 57/127 के मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 9/2 में 0.126 हैक्टर, किला नम्बर 12 ता 19 व 22, 23, 24 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 25 में 0.190 हैक्टर कुल 3.099 हैक्टर नहरी भूमि वादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण के पिता का वास्तविक नाम सुमारमल उर्फ मेघराज है। वादीगण के राशन कार्ड संख्या, आधार कार्ड, पहचान पत्र, केन्द्रीय सहकारी बैंक की कॉपी, वादीगण के पिता के मृत्यू प्रमाण पत्र में वादीगण के पिता का वास्तविक नाम मेघराज अंकित है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम सुमारमल दर्ज है। अन्य तमाम दस्तावेज में मेघराज दर्ज होने के कारण वादीगण को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। संबधित विभाग में अपने पिता के दो नाम होने के संबध में एंव अपनी पहचान बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादीगण उक्त जंमाबन्दी में अपने पिता का नाम सुमारमल उर्फ मेघराज घोषित करवाना चाहते है। वादीगण ने इस सम्बन्ध में राजस्व कैम्प चक कमीनपुरा में लिखित वादपत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी में अपने पिता का नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस पर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्णित भूमि कृषि भूमि चक 23 एफ तहसील श्रीकरणपुर में स्थित होने के कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार [illegible] है। वादपत्र मय शपथ पत्र पे[illegible] पूर्ण न्यायालय शुल्क पर समयावधि के भीतर प्रस्तुत है। वादपत्र मय शपथ पत्र पे[illegible] अ[illegible] है कि चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 57/127 के मु[illegible] नम्बर 64 की कुल 3.099 हैक्टर नहरी रकबा के सम्बन्ध [illegible] में वादीगण के [illegible] का नाम सुमारमल के स्थान पर सुमारमल उर्फ मेघराज जाति सिन्धी निवासी 23 एफ त[illegible] श्रीकरणपुर घोषित किए जाने के आदेश दिये जावे।

23/02/21

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:24 IS
Reason: SelfAttested

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। पैराकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया किया गया। सामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से पंत्राक 13037 दिनांक 22.01.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 57 में 3.099 हैक्टर भूमि नत्थू राम, भगवान दास पिसरान सुमार मल बहिब कौम सिंन्धी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण को उक्त भूमि जरिए विरास्तन इन्तकाल 742 व दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 745 से प्राप्त हुई है। जिनमें वादीगण का नाम नत्थू राम, भगवान दास पिसरान सुमारमल दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। मुताबिक फर्दमौका उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि सुमार मल उर्फ मेघराज पुत्र गंगू राम उर्फ गंगाराम की आज से लगभग 9-10 वर्ष पूर्व मृत्यू हो चुकी है। इन्हें उक्त दोनो नामों से पुकारा जाता था। सुमारमल उर्फ मेघराज दोनों एक ही व्यक्ति के नाम बताए गए। वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। सामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र वादीगण, शपथ ग्राम पंचायत 27 एफ कमीनपुरा प्रमाण पत्र, जवाब स्टेट पैराकार राज एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है। वादीगण द्वारा चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 57/127 के मुरब्बा नम्बर 64 की कुल 3.099 हैक्टर नहरी भूमि में अपने पिता का नाम सुमारमल के स्थान पर सुमारमल उर्फ मेघराज जाति सिन्धी निवासी 23 एफ तहसील श्रीकरणपुर करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार वादीगण को चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 57 की 3.099 हैक्टर नहरी भूमि जरिए विरास्तन इन्तकाल संख्या 742 व दस्तबरदारी इन्तकाल संख्या 745 से प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता सुमारमल उर्फ मेघराज की आज से लगभग 9-10 पूर्व मृत्यू हो चुकी है। पटवारी हल्का के द्वारा इस सम्बन्ध में फर्द मौका तैयार किया गया। मुताबिक फर्दमौका वादीगण के पिता को सुमारमल व मेघराज दोनों नामों से पुकारा जाता था। प्रमाण पत्र संरपच ग्राम पचायत 27 एफ कमीनपुरा के अनुसार सुमार मल उर्फ मेघराज पुत्र गंगाराम जाति सिंधी निवासी 27 एफ कमीनपुरा तहसील श्रीकरणपुर का रहने वाला था। जिसकी मृत्यू हो चुकी है। वादीगण के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, केन्द्रीय सहकारी बैंक की पासबुक में पिता का नाम मेघराज अंकित है, तथा वादीगण के पिता के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा मृत्यू प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राजस्थान सरकार पहचान पत्र में मेघराज अंकित है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादीगण के पिता का नाम सुमार मल दर्ज है। अतः वादीगण के पिता का नाम सुमारमल के स्थान पर सुमारमल उर्फ मेघराज किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha
Date: 2021.03.02 11:45:2
Reason: SelfAttested

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति सा... होने से स्वीकार किया जाकर चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 57/127 के मुरब्बा नम्बर 64 के कुल 3.099 हैक्टर नहरी भूमि में नत्थूराम, भगवानदास पिसरान सुमारमल के स्थान पर नत्थूराम, भगवानदास पिसरान सुमारमल उर्फ मेघराज अंकित

23/02/21
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर लेख भण्डार जमा हो।

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:24 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

नत्थू राम आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं.86/2019
निर्णय दिनांक :- 23.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 23 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 57/127 के मुरब्बा नम्बर 64 के कुल 3.099 हैक्टर नहरी भूमि में नत्थूराम, भगवानदास पिसरान सुमारमल के स्थान पर नत्थूराम, भगवानदास पिसरान सुमारमल उर्फ मेघराज अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 23.02.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक 23/02/21

क्रमांकः राजस्व/ 2021/92
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:24 IST
Reason: SelfAttested

23/02/21
{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर